(18)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अ.प्रशा./आर.के.एस./2016/ 975 भोपाल, दिनांक 17/06/2016

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः—शार्ट लेवी ऑफ स्टॉम्प ड्यूटी एवं नान रजिस्ट्रेशन डीट की राशि वसूली बाबत्।
संदर्भः—संचालनालय के पत्र क्रमांक/आर.के.एस./2015/417, दिनांक 13/03/2015 एवं पत्र क्रमांक/आर.के.एस./2015/870, दिनांक 18/06/2015

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश के जन सामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोगी कल्याण समिति की अवधारणा के तहत नियमावली 2010 बनाई जाकर समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रेषित की गई। स्वास्थ्य संस्थाओं की रिक्त भूमि पर व्यवसायिक परिसर एवं दुकानों का निर्माण कराया जाकर किराया/लीज पर लिये जाने का प्रावधान किया गया। निर्मित कराई गई दुकानों को किराया/लीज पर दिये जाने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के तहत भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एवं रजिस्ट्रीकरण 1908 की धारा का पालन ना किये जाने के फलस्वरूप महालेखाकार द्वारा आपत्ति उठाई गई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क निर्धारित दर से वसूली हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को संदर्भित पत्रों के द्वारा वसूली हेतु लिखा गया था।

अतः आपसे अनुरोध है, कि स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा निर्मित कराई गई दुकानों एवं व्यवसायिक परिसर को किरायें/लीज पर दिये जाने में कम वसूल किये गये स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की वसूली हेतु अपने जिले के उप पंजीयक को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि शतप्रतिशत राशि की वसूली की जाकर राज्य शासन की संचित निधि में जमा कराया जाना संभव हो सके।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

संचालक,(अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक / /2016

पृ.क्रमांक/अ.प्रशा./आर.के.एस./2016/

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लो. स्वा. एवं परि. कं. विभाग मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक, पंजीयन भवन पुरानी विधानसभा के सामने भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. अपर संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वस्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।

संचालक,(अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

(१)

क्रमांक / आर.के.एस. / 2015 / भोपाल, दिनांक / /2015

प्रति,

महानिरीक्षक
पंजीयन एवं अधीक्षक,
पंजीयन भवन, पुरानी विधानसभा के सामने
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषयः–रोगी कल्याण समिति के नवीन दिशानिर्देशों के सबंध में।
संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक–3498 / आडिट / 2014 दिनांक 02 / 08 / 2014

––00––

विषयान्तर्गत शासन के संदर्भित पत्र द्वारा रोगी कल्याण समिति की नियमावली 2010 जारी की गई है। **(संलग्न)**

महालेखाकार द्वारा प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं के लेखा परीक्षण में रोगी कल्याण समिति के नियमावली 2010 के प्रावधान अनुसार चिकित्सालय परिसर में उपलब्ध रिक्त स्थान का उपयोग आय स्त्रोत हेतु व्यवसायिक भवन आदि के निर्माण के फलस्वरूप दुकानों / व्यवसायिक परिसर को आवंटित करें, लीज पर दिये जाने के परिपेक्ष्य में कम स्आम्प ड्यूटी एवं लीज डीड का पंजीकरण न कराने से शासन को हुई वित्तीय हानि का आपेक्षित किया गया है। **(छायाप्रति संलग्न है)**

उपरोक्त प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रदेश के जिला चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सा संस्थाओं में रोगी कल्याण समितियों द्वारा निर्मित कराई गई दुकानों / व्यावासायिक परिसरों को किराये / लीज पर दिये जाने के फलस्वरूप कम स्टाम्प शुल्क / लीज डीट की वसूली किये अक्षेप के प्रकरण में रोगी कल्याण समितियों द्वारा निर्मित कराई गई दूकानों एवं व्यावसायिक परिसरों को लीज / किराये पर दिये जाने सबंधी प्रकरणों की समीक्षा कर, कम स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की वसूली करने का कष्ट करेगे।

कृपया प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहेंगे।

//

संचालक, (अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृष्ठ क्रमांक / आर.के.एस. / 2015 / 418 भोपाल, दिनांक 13/03 /2015

प्रतिलिपि :–

माननीय सांसद

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. अपर संचालक, वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. समस्त, कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।

संचालक, (अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश